न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 12/2021
दायरी दिनांक: 12.02.2021

उनवान

1. कन्हैयालाल पिता नारायण जाति जाट निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. देबीलाल पिता लादू जाति जाति जाट निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।
2. पारस पिता लादू जाति जाति जाट निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।
3. बाली पिता लादू जाति जाति जाट निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।
4. रामकिशन पिता लादू जाति जाति जाट निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।

विपक्षी

उपस्थित :–

1. श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री निहाल सेन (अधिवक्ता विपक्षी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 28.10.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धामणिया धामणिया तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी आराजियात निम्न प्रकार है:– आराजी संख्या 1363, 2298/1358, 2299/1361, 2300/1500, 2301/1501 किता 5 रकबा 2.4280 हैक्टेयर भूमि एकल स्वामित्व मे काना पुत्र नाराण के नाम से दर्ज रेकार्ड है। आराजी संख्या 1491 रकबा 0.8741 हैक्टेयर भूमि खाना पुत्र नाराण के नाम से सामलाती दर्ज रेकार्ड हैं। खातेदार बंशी पुत्र नाराण की मृत्यु हो चुकी है। आराजी संख्या 1498 रकबा 0.0405 हेक्टर आ०चा0 काना पुत्र नाराण के नाम से सामलाती दर्ज रेकार्ड है। आराजी संख्या 1355 गे.मू. रास्ता आराजी संख्या 1357 गे.मू. आ.चा. व आ.न. 0.2185 हैक्टेयर काना पुत्र नाराण के नाम से सामलाती दर्ज रेकार्ड है। कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात व आचाह की राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम काना पुत्र नाराण व खाना पुत्र नाराण अभिलिखित है जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबूक इत्यादि में कन्हैयालाल पुत्र नारायण जाट अंकित है। इस प्रकार राजस्व जमांबदियो व सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थी केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओ से लाभान्वित नही हो पा रहा है। कि जमाबंदियो एंव आधार कार्ड राशन कार्ड में अभिलिखित नाम से भिन्नता होने से प्रार्थी अपने नाम दर्ज भूमि पर कृषि ऋण नहीं ले पा रहा है तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना से मिलने वाले अनुदानों, मुआवजा से प्रार्थी को वंचित होना पड़ता है। कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में अभिलिखित आराजियात में जमांबदियों में प्रार्थी का नाम काना पुत्र नाराण व खाना पुत्र नाराण जाट के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र नारायण जाट दर्ज किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया उक्त संशोधन किसी दुरासय या नाजायज लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं कराया जा रहा है। राजस्व जमाबदियों में प्रार्थी के नाम में संशोधन किया जाना विधि सम्मत है तथा प्रार्थी के समय समय पर होने वाली असुविधा से बचा जा सके एवम केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओ से प्रार्थी लाभान्वित हो सके। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थनापत्र

Scanned with CamScanner

चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात मे दर्ज प्रार्थी के नाम काना पुत्र नाराण एवम खाना पुत्र राण जाट के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र नारायण जाट दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

दिनांक 12.02.2021 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को रिये सम्मन मय प्रार्थना पत्र भेज तलब किया गया। दिनांक 10.03.2021 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना त्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम धामणिया में अपने नाम दर्ज राजस्व जमाबन्दी में ना व खाना के नाम में संशोधन चाहा गया। प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का है क्योंकि उक्त शोधन के बिना प्रार्थी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रहा है तथा प्रार्थी के संशोधन विपक्षी भी सहमत है। जिनकी ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। पत्रावली ज ही पेशी पर सुनवाई हेतु रखवाया जाना न्यायसंगत है।

दिनांक 10.03.2021 को विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से निम्न इकबाली जवाब वा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 1 स्वीकार है। यह है कि प्रार्थनापत्र ो कलम संख्या 2 स्वीकार है। यह है कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 3 स्वीकार है। यह है कि र्थनापत्र की कलम संख्या 4 स्वीकार है। यह है कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 5 स्वीकार है। ह है कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 6 स्वीकार है। यह है कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 7 वीकार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या में वर्णित आराजियात में दर्ज प्रार्थी के नाम काना पिता नाराण एवम खाना पिता नाराण के स्थान पर कन्हैयालाल पिता नारायण जाट किया जाता है तो इसमे हमें कोई आपति नही है इसमें हम अपनी सहमति देते है।

दिनांक 01.04.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ. /2020/648 दिनांक 26.03.2020 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक ग्रामणिया अनुसार काना पिता नाराण व खाना पिता नाराण दोनो एक ही व्यक्ति है। दूसरा नही है। ग्राम धामणिया में दोनो नाम का और अन्य व्यक्ति नही तथा दोनो खातों की भूमि पर प्रार्थी कन्हैयालाल पिता नारायण जाट निवासी धामणिया ही काबिज होकर काश्त कर रहा है। अतः रिपोर्ट की जाकर श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

दिनांक 28.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प धामणिया में पेश हुई। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संम्वत् 2076–79, तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 अन्तर्गत राजस्थान भू.–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेश दिया जाता है कि ग्राम धामणिया पटवार हल्का धामणिया तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी आराजियात 1363, 2298/1358, 2299/1361, 2300/1500, 2301/1501 किता 5 रकबा 2.4280 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1491 रकबा 0.8741 हैक्टेयर भूमि खाना पुत्र नाराण के नाम से सामलाती दर्ज रेकार्ड हैं। आराजी संख्या 1498 रकबा 0.0405 हेक्टर आ०चा0 काना पुत्र नाराण के नाम से सामलाती दर्ज रेकार्ड है। आराजी संख्या 1355 गे.मू. रास्ता आराजी संख्या 1357 गे.मू. आ.चा. व आराजी संख्या 0.2185 हैक्टेयर काना पुत्र नाराण के नाम भूमि में प्रार्थी का नाम काना पिता नाराण एवं खाना पिता नाराण जाट निवासी धामणिया के स्थान पर कन्हैयालाल पिता नारायण जाट निवासी धामणिया राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प धामणिया में मेरे द्वारा सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner